F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुमेरसिंह बनाम अमरसिंह वगै0

[नाम] मुकदमाः– दावा अ.धा 188, आर.टी.एक्ट, मुकदमा नम्बरः– 168 / 2025

[तारी]ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
[..].08.2025	वादी स्वयं सुमेरसिंह ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 17.09.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	1631-39 / 16-9-25
10-11-25	पत्रावली पेश हुई। सक्षम अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-11-25 को पेश हो। पत्र[..] पक्ष[..] दौ[..] हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14 को पेश हो।	
04.12.2025	दिनांक 14.11.2025 को [..] पेशी होने से पत्रावली आज पेश हुई। वादी की ओर से श्री बजरंग लाल यादव एड. ने [..] मय प्रार्थना पत्र विड्रा का पेश कर निवेदन किया है कि वादी अपना उक्त वादपत्र को आगे चलाना नहीं चाहता है तथा अपना दावा विड्रा करना चाहता है। अतः वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र वादपत्र विड्रा को स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र को इसी स्तर पर विड्रा किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्री[माधोपुर]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.16 13:27:09 IST
Reason: SelfAttested